रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 1975/आश्विन 17, 1897

No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 1975/ASVINA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th October 1975

No. 156(9)/74-PY.I.—In the Resolution issued by the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) under No. 156(9)/74-PY.I, dated the 10th September, 1975 constituting the Advisory Council, Government of India have decided to make the following additions/alterations in the list of members:—

(i) After S. No. 4, the following entry shall be made, namely :—

"5 Minister of State, Department of Industry and Civil Supplies"

The existing entries 5 to 10 shall be serially renumbered as 6 to 11 in the same order.

(ii) After the amended S. No. 11, the following entry shall be made, namely :—

"12. Additional Secretary, Department of Civil Supplies and Cooperation"

The existing entries 11 to 13 shall be serially renumbered as 13 to 15 in the same order.

(iii) At S. No. 6, in the list of Non-Official Members the words "President, Federation of All India Foodgrains Dealers' Association", occurring after the words Shri V. S. Aggarwal, shall be deleted.

(iv) At S. No. 10, in the list of Non-Official Members, the words "President, Federation of All India's Foodgrains Dealers' Association" shall be inserted after the words "Shri Devji Rattansey" and before the words "25 Chinch Bunder Road, Bombay-9".

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, All Members of the Advisory Council, Cabinet Secretariat, Prime Ministers' Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Private Secretary to the President, the Comptroller and Auditor General of India, and the Accountant General, Central Revenues, New Delhi.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. C. L. JONEJA, Secy

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1975

सं० 156(9)/74-पालिसी-1.—कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा क्रम संख्या/156(9)/74-पालिसी-1, दिनांक 10 सितम्बर, 1975 के अधीन जारी किए गए संकल्प में भारत सरकार ने सदस्यों की सूची में निम्नलिखित वृद्धि/परिवर्तन करने का निर्णय लिया है —

(1) क्रम संख्या 4 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी अर्थात् "5, राज्य मंत्री, उद्योग तथा नागरिक पूर्ति विभाग"

5 से 10 तक की मौजूदा प्रविष्टियों की क्रम संख्या बदल कर उसी क्रम से 6 से 11 तक की जाएगी।

(2) संशोधित क्रम संख्या 11 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात् :—

"12. अवर सचिव, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग'

11 से 13 तक की मौजूदा प्रविष्टियों की क्रम संख्या बदल कर उसी क्रम से 13 से 15 तक की जाएगी।

(3) क्रम संख्या 6 पर गैर सरकारी सदस्यों की सूची में शब्द श्री वी० एस० अग्रवाल के बाद आने वाले शब्द "अध्यक्ष, अखिल भारत खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन संघ" निकाल दिए जाएंगे।

(4) क्रम संख्या 10 पर गैर सदस्यों की सूची में शब्द "श्री देवजी रतनसे" के बाद और शब्द "25 चिंच बंदर रोड, बम्बई-9" से पूर्व शब्द "अध्यक्ष, अखिल भारत खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन संघ" जोड़े जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति के निजी सचिव, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, और महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी० सी० एल० जोनेजा, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975